कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.-9454400250, दूरभाष-05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या-376/2023 दिनांक- 25.11.2023

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना सरायमीर

छेड़खानी करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

थाना सरायमीर पर दिनांक 24/11/2023 को वादिनी/पीड़िता थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ के द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनाक 22-11-23 को समय 08.30 बजे रात्रि को विपक्षी रोहित चौरसिया s/o इन्द्रराज चौरसिया नि0 दरिखाशेख अहमदपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा शराब के नशे में पीड़िता के घर आया तथा आवेदिका के सास से कुछ अभद्र भाषा मे बात करने लगा और आवेदिका के मना करने पर आवेदिका को दो चप्पल मारा और गाली गलौज करके चला गया। फिर रात करीब 9.30 बजे दरवाजा बन्द रहने पर छत पर चढ़ गया जहाँ आवेदिका अपनी बेटी के साथ सोई हुयी थी अचानक आवेदिका की बेटी का हाथ पकड़कर जबरदस्ती करने कि कोशिश करने लगा आवेदिका के विरोध करने पर उसको छोड़कर आवेदिका के साथ जबरदस्ती करने कि कोशिश करने का प्रयास किया और आवेदिका को बहुत देर तक मारा पीटा आवेदिका को घसीट कर नीचे लाया आवेदिका की साड़ी भी खीच कर निकाल दिया उसके बाद मारा, बेटी के चिल्लाने पर वह छत के ऊपर से भाग गया के सम्बन्ध में प्राप्त प्रा0पत्र के आधार पर मु0अ0सं0- 350/2023 धारा 354(ख)/452/323/504/506 भादवि व 7/8 पास्को एक्ट थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक- 25.11.2023 को व0उ0नि0 योगेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वाछिंत अभियुक्त रोहित चौरसिया पुत्र इन्द्रराज चौरसिया निवासी दरिखाशेख अहमदपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 31 वर्ष, को संजरपुर छाऊ मोड़ के पास से समय करीब 11.30 बजे गिरफ्तार किया गया अभियुक्त उपरोक्त को नियमानुसार चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 350/2023 धारा 354(ख)/452/323/504/506 भादवि व 7/8 पास्को एक्ट थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त- रोहित चौरसिया पुत्र इन्द्रराज चौरसिया निवासी दरिखाशेख अहमदपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- व0उ0नि0 योगेन्द्र कुमार मय हमराह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

थाना सिधारी,आजमगढ़

किशोरी को अगवा करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना..

दिनांक- 06.11.2023 को वादी मुकदमा ने थाना सिधारी पर लिखित तहरीर दिया कि विपक्षी मोहम्मद अलाउद्दीन पुत्र मो0 मतिउर रहमान साकिन डुमरिया थाना अमदाबाद जिला कटिहार बिहार द्वारा वादी की नाबालिक बहन को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 427/2023 धारा 363 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़ बनाम अलाउद्दीन उर्फ माजरुल पिता अज्ञात सा0 डुमरिया बिहार के पंजीकृत किया गया।

जिसकी विवेचना उ0नि0 सुरेन्द्रनाथ द्वारा किया जा रहा है। मुकदमा उक्त की पीड़िता/अपहृता को विवेचक सुरेन्द्रनाथ द्वारा दिनांक 10.11.2023 को जिला कटियार थाना अमदाबाद प्रान्त बिहार से बरामद किया गया। पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उक्त में धारा 366 भादवि व 16/17 पाक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक- 25.11.2023 को उ0नि0 सुरेन्द्रनाथ थाना सिधारी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मो0 अलाउद्दीन पुत्र मो0 मतिउर रहमान सा0 डुमरिया थाना अमदाबाद जिला कटिहार बिहार उम्र करीब 23 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर रेलवे स्टेशन तिराहा से समय 11.40 बजे गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग

1 मु0अ0सं0 427/2023 धारा 363/366 भादवि व 16/17 पाक्सो एक्ट भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

मोहम्मद अलाउद्दीन पुत्र मो0 मतिउर रहमान साकिन डुमरिया थाना अमदाबाद जिला कटिहार बिहार उम्र करीब 23 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1.उ0नि0 सुरेन्द्रनाथ सिधारी आजमगढ़

2.कां0 शैलेन्द्र कुमार थाना सिधारी आजमगढ़

थाना- जहानागंज

नौकरी दिलाने के नाम पर लोगो से ठगी करने वाला आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक 30.12.22 को वादी मुकदमा प्रमोद प्रजापति पुत्र श्री शिवनाथ प्रजापति साकिन असोना थाना जहानागंज जिला आजमगढ़ प्रा0पत्र दिये कि अभियुक्तगण द्वारा फर्जी तरीके से वादी मुकदमा को रेलवे में गेटमैन की नौकरी दिलाने के नाम पर साढ़े पांच लाख रुपये ले लेने व वादी मुकदमा को फर्जी ज्वाइनिगं लेटर तैयार कर दे देने व वादी मुक़दमा द्वारा अपना रुपया मांगे जाने पर आजकल कहकर लटकाने व रुपये ने देने तथा गाली गुप्ता व जान माल की धमकी देने के सम्बन्ध में अंकित है। प्रा0पत्र के आधार पर मु0अ0स0 525/22 धारा 420, 467, 468, 406, 504, 506 भादवि बनाम 1. सोनू कुमार पुत्र स्व0 दीपचन्द साकिन पल्हनी अम्बेडकर पार्क के पास थाना सिधारी जिला आजमगढ़ 2. सूर्य प्रकाश दयाल पुत्र स्व0 रामदयाल प्रसाद साकिन चौकना पुरूषोत्तम थाना महराजगंज जिला आजमगढ़ 3. उपेन्द्र विक्रम मिश्रा पुत्र डा. राजकुमार मिश्रा साकिन कस्बा व थाना ऊंचाहार जिला रायबरेली पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण:

दिनांक- 25.11.2023 को उ0नि0 मोतीलाल पटेल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सूर्यप्रकाश दयाल पुत्र स्व0 रामप्रसाद दयाल निवासी चौकना पुरुषोत्तम थाना महराजगंज आजमगढ़ की गिरफ्तारी हेतु मोहल्ला मोहारी बाग (तेली बाग) थाना कोतवाली पीजीआई लखनऊ पहुचे कोतवाली से आवश्यक फोर्स लेकर अभियुक्त के घर मोहल्ला मोहारी बाग पहुचा अभियुक्त की सास पुष्पा देवी पत्नी मूलचन्द मिली। सूर्यप्रकाश दयाल के बारे मे पूछने पर बतायी कि वह मेरा दामाद है। जो इस समय अपने घरेलू विवाद को लेकर ग्राम चौकना पुरुषोत्तम थाना महराजगंज आजमगढ़ गया हुआ है मो0न0 पूछने पर बतायी कि इस समय उसके पास कोई मोबाईल नही है। आस पास के लोगो से अभियुक्त के बारे मे पूछा तो आजमगढ़ जाने की पुष्टि हुई। इस जानकारी के उपरान्त रवाना होकर ग्राम चौकना पुरुषोत्तम थाना महराजगंज आजमगढ़ आया अभियुक्त के घर पहुचा अभियुक्त अपने घर पर मौजूद मिला। नाम पता पूछा तो अपना नाम सूर्यप्रकाश दयाल पुत्र स्व0 रामप्रसाद दयाल निवासी चौकना पुरुषोत्तम थाना महराजगंज आजमगढ़ बताया। मुकदमे से सम्बंधित अभियुक्त का विश्वास होने के उपरान्त कारण गिरफ्तारी बताते हुये समय लगभग 10.30 बजे अभियुक्त के घर से हिरासत पुलिस मे लिया गया।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि दो, तीन वर्ष पहले मुझे उपेन्द्र विक्रम मिश्रा पुत्र डा. राजकुमार मिश्रा साकिन कस्बा व थाना ऊंचाहार जिला रायबरेली व नितिन कुमार उर्फ सनी पुत्र जगदेव प्रसाद निवासी आलमबाग बस स्टैण्ड के सामने स्थित पेट्रोल पम्प के बगल गली में मकान थाना कोतवाली आलमबाग लखनऊ सम्पर्क मे आये तथा बताये कि हम लोगो की रेलवे विभाग मे अच्छी जान पहचान है और जरुरत मंद लोगो को बुलाकर लाईये नौकरी दिलवा दूंगा। इसी लालच में मैने प्रमोद प्रजापति व सोनू कुमार से सम्पर्क किया और पैसा लेकर उपेन्द्र विक्रम मिश्रा व नितिन कुमार को अपने खाते से निकालकर दिया गया।

पंजीकृत अभियोग: 1. मु0अ0स0 525/22 धारा 420, 467, 468, 406, 504, 506 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त- सूर्यप्रकाश दयाल पुत्र स्व0 रामप्रसाद दयाल निवासी चौकना पुरुषोत्तम थाना महराजगंज आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण -

1- व0उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार सिंह थाना जहानागंज आजमगढ़

2- उ0नि0 मोतीलाल पटेल थाना जहानागंज आजमगढ़

2- का0 का0 दुर्गादीन सरोज थाना जहानागंज आजमगढ़

थाना निजामाबाद

गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण - दिनांक 25.11.2023 को वादी मुकदमा थानाध्यक्ष सच्चिदानन्द यादव द्वारा जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़ द्वारा अनुमोदित शुदा गैग चार्ट पर थाना स्थानीय पर अभियुक्तगण 1.रामनिवास यादव पुत्र गुरूचरन यादव निवासी सरदहा पो0 मधसिया थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ 2. अबरार अहमद पुत्र मैनुद्दीन निवासी भगतपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ के विरूद्ध लिखित तहरीर देकर मु0अ0सं0- 513/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण – दिनांक- 25.11.2023 को थानाध्यक्ष सच्चिदानन्द यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त सम्बन्धित अभियुक्त अबरार अहमद पुत्र मैनुद्दीन निवासी भगतपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ शेरपुर तिराहे के पास से समय करीब 10.05 बजे पकड़ लिया गया अभि0 उपरोक्त को नियमानुसार उपरोक्त मुकदमे मे हिरासत मे लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग – 513/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 एक्ट।

आपराधिक इतिहास – मु0अ0सं0- 158/20 धारा 364/302/201/34 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- अबरार अहमद पुत्र मैनुद्दीन निवासी भगतपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम- थानाध्यक्ष उ0नि0 सच्चिदानन्द यादव मय हमराह थाना निजामाबाद, जनपद-आजमगढ़।

थाना- रानी की सराय

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

दिनांक 28/07/2019 को वादी मुकदमा सुरेश सेठ पुत्र रामसागर ग्राम जिगरसण्डी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ जो भुजही बाजार से अपनी ज्वेलरी एवं वस्त्रालय की दुकान बन्द कर वापस घर जा रहा थे कि रास्ते मे मोटर सायकिल सवार बदमाशो द्वारा दुकान की चाभी व गाड़ी का कागजात एवं 250 ग्राम चाँदी व 5 हजार रुपये के कपड़े एवं 3000/- रुपये नगद छीन लेना जिसके सम्बन्ध मे थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0156/2019 धारा 392 भादवि0 बनाम अज्ञात के पंजीकृत हुआ।

विवेचना व साक्ष्य संकलन से मुकदमा उपरोक्त मे अभियुक्तगण 1. विजय यादव पुत्र कान्ता उर्फ कामता यादव निवासी ग्राम जमालपुर भेलखरा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ 2. सुनील यादव पुत्र शिवलोकन उर्फ शिवकोचन यादव निवासी ग्राम बैठोली थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश मे आया तथा लूट गये जेवरात एवं रुपयो की बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 411 भा0द0वि0 विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में आरोप पत्र संख्या A-153 दि0 03.10.2019 को मा0न्यायालय प्रेषित किया गया।

तथा दिनांक 05/01/2019 को आवेदक श्री सत्यनरायन यादव पुत्र स्व0 बुधई यादव निवासी जमालपुर भेलखरा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को जमीनी विवाद को लेकर अभियुक्त विजय यादव पुत्र कान्ता उर्फ कामता यादव निवासी ग्राम जमालपुर भेलखरा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ के द्वारा फोन पर गाली गलौज देना व जान से मारने की धमकी दिया गया,जिसके सम्बन्ध मे वादी सत्यनरायन यादव पुत्र स्व0 बुधई यादव निवासी जमालपुर भेलखरा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-04/2019 धारा 504/506 भा0द0वि0 बनाम विजय यादव पुत्र कान्ता उर्फ कामता यादव निवासी ग्राम जमालपुर भेलखरा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत हुआ। जिसमे विवेचनोपरान्त अभि0 विजय यादव पुत्र कान्ता उर्फ कामता यादव निवासी ग्राम जमालपुर भेलखरा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ उपरोक्त के विरुद्ध धारा 504/506 भादवि0 मे आरोप पत्र संख्या A-02 दि0 07.01.19 को मा0न्यायालय प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त अभियुक्तों का संगठित गिरोह है जो मिलकर जनपद स्तर पर सक्रिय होकर अपने गैग के सदस्यो के साथ मिलकर चोरी, लूट जैसे जघन्य अपराध कारित करते है। अभियुक्त 1. विजय यादव पुत्र कान्ता उर्फ कामता यादव निवासी ग्राम जमालपुर भेलखरा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ 2. सुनील यादव पुत्र शिवलोकन उर्फ शिवकोचन यादव निवासी ग्राम बैठोली थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उपरोक्त गैग का सदस्य है। जिनका दिनांक 24.11.2023 को जिलाधिकारी महोदय के द्वारा अनुमोदित गैग चार्ट के आधार पर थाना स्थानीय पर दिनाँक 24.11.2023 को मु0अ0स0 376/2023 धारा 3(1)यू0पी0 गैगेस्टर 1. विजय यादव पुत्र कान्ता उर्फ कामता यादव निवासी ग्राम जमालपुर भेलखरा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ 2. सुनील यादव पुत्र शिवलोकन उर्फ शिवकोचन यादव निवासी ग्राम बैठोली थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. विजय यादव पुत्र कान्ता उर्फ कामता यादव निवासी ग्राम जमालपुर भेलखरा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है।

गिरफ्तारी की विवरण-

दिनांक-25.11.2023 को प्र0नि0 शशिचन्द्र चौधरी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वाछित अभियुक्त विजय यादव पुत्र कान्ता उर्फ कामता यादव निवासी ग्राम जमालपुर भेलखरा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को आवन्तिकापुरी मन्दिर तिराहा से समय 09.25 बजे पुलिस हिरासत मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0 376/2023 धारा 3(1)यू0पी0 गैगेस्टर थाना रानी की सराय आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त – .

1-विजय यादव पुत्र कान्ता उर्फ कामता यादव निवासी ग्राम जमालपुर भेलखरा थाना रानी की सराय आजमगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष

अपराधिक इतिहास –

क्र0स0	मु0अ0स0	धारा	थाना	जनपद
01	88/2018	392/411/504 भादवि0	रानी की सराय	आजमगढ़
02	99/2018	395/412 भादवि0	रानी की सराय	आजमगढ़
03	121/2018	307 भादवि0	रानी की सराय	आजमगढ़
04	122/2018	41/411 भादवि0	रानी की सराय	आजमगढ़
05	123/2018	3/25/27 शस्त्र अधि0	रानी की सराय	आजमगढ़
06	141/2018	3(1) यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट	रानी की सराय	आजमगढ़
07	04/2019	504/506 भादवि0	रानी की सराय	आजमगढ़
08	156/2019	392/411 भादवि0	जहानागंज	आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

(1)प्र0नि0 शशिचन्द चौधरी मय हमराह थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

(2) व0उ0नि0 कमल कान्त वर्मा मय हमराह थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़